

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.4.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	हृदयानन्द तिवारी पिता-स्व. मोती तिवारी ग्राम+पो०-छोटकी नैनीजोर थाना-नैनी जोर जिला-बक्सर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	निर्मला देवी पति-रंजन प्रसाद भगत ग्राम-पो०-लालपुर थाना-छातापुर जिला-सुपौल	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
3	नसरीना खातुन पति-मुस्तुफा अंसारी ग्राम-बंजरीया, पो०-बरहनी बाजार थाना-जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	उमेश प्रसाद सिंह पिता-स्व. रामानन्द सिंह ग्राम-पो०-नीरपुर थाना+जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
5	सोनाई यादव पिता-स्व. खड्डर यादव ग्राम-जगन्नाथपुर पो०-सिकटीयाही थाना-बाबुबरही, जिला-मधुबनी	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
6	बिन्देश्वरी यादव पिता-स्व. सिधेश्वर यादव ग्राम-खोजा बाजार थाना-कासीम बाजार पो०+जिला-मुंगेर	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।

11/11/16
4/2/16

7	देवन्ती देवी पति-स्व. विश्वनाथ चौधरी ग्राम-मदनपुर बाजार पो0-मदनपुर थाना-जिला-अररिया	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
8	सीता देवी पति-विजय प्रसाद साह ग्राम-मधेपुरा वार्ड नं0-18 पो0+थाना+जिला-मधेपुरा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
9	मोहन यादव पिता-स्व. जंगली गोप ग्राम-नीमगंज पो0-थाना-बिहारशरीफ जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 11,55,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,55,000/- (ग्यारह लाख पचपन हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 509372 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओबरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 509372 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 641 (14)

पटना, दिनांक 04.05.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों का/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.6.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।


पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.04.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह पिता-स्व. राज जतन सिंह ग्राम-मोहनपुर न्यु पुनाईचक सरस्वती एपार्टमेंट लेन, पटना पो०-पुनाईचक, थाना-शास्त्रीनगर जिलर-पटना सी.आर नं०-20376/16	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
2	शीला देवी पति-राम एकबाल पासवान ग्राम-अमिरगंध धर्मपुर पो०-थाना+जिला-समस्तीपुर पंजी ओ०पीडी/012730/15	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
3	बुलो दास पिता-स्व. लेखा दास ग्राम-बारो मुंशी टोला पो०-बारो, थाना-फुलवरीया जिला-बेगुसराय सी.आर नं०-48524/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	संजु देवी पति-नवीन कुमार ग्राम-पो०-शाम कौड़ीया थाना-इसुआपुर जिला-सारण सी.आर नं०-36562/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
5	बानो देवी पति-राम अवतार साहु ग्राम-मंगरौना पो०-गोनौली थाना-अंधराठाढी, जिला-मधुबनी सी.आर नं०-154359/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।



6	बीबी जुबैदा खातुन पति-मोमताज आलम ग्राम-पेरवाखुरी पो0-भोजपुर थाना-तारावाड़ी जिला-अररिया सी.आर नं0-26065 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
7	नागदेव राय पिता-स्व शिवन राय ग्राम+पो0+थाना-काको जिला-जहानाबाद सी.आर नं0-39938 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
8	बसंती देवी पति-श्री निवास प्रसाद ग्राम-पो0-असाढ़ी थाना-हिलसा जिला-नालंदा सी.आर नं0-92195 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
9	रिंकु देवी पति-राम बाबु चौरसीया ग्राम-चांदचौर बड़ई टोला पो0-चांद चौर थाना-उजियारपुर जिला-समस्तीपुर सी.आर नं0-087019 / 15	किडनी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
10	रत्नेश पासवान पिता-अनन्त पासवान ग्राम-सुन्दरपट्टी पो0-मानीकपुर थाना+जिला-मधेपुरा सी.आर नं0-27592 / 16	गुर्दा प्रत्यारोपण	विशेष परिस्थिति में ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) स्वीकृत।
11	विदेश झा पिता-स्व. राम भजन झा ग्राम-बघवा, पो0-गोपालपुर थाना-सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा सी.आर नं0-28942 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
12	सौरभ सिंह पिता-अरविन्द कुमार सिंह ग्राम-स्टेशन रोड बाढ पो0+थाना बाढ जिला-पटना	गुर्दा प्रत्यारोपण,	विशेष परिस्थिति में ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) स्वीकृत।
13	बिभा झा पति-पशुपती नाथ झा ग्राम+पो0-जय नगर थाना-भरगामा जिला-अररिया सी.आर नं0-131935 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

श्री श्री श्री

14	शंभु राम पिता-स्व. राम बहादुर राम ग्राम+पो0-कुम्हरा विशुनपुर थाना-डुमरा जिला-सीतामढ़ी सी.आरनं0-51390 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
15	सबीता देवी पति-विजय साह ग्राम-वाजीतपुर कस्तुरी पो0-सहदेई बुजुर्ग थाना-देसरी, जिला-वैशाली सी.आरनं0-82329 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
16	मनोरमा देवी पति-राजेन्द्र सिंह ग्राम-गोपालपुर पो0-माखर, थाना-अकबरपुर जिला-नवादा सी.आरनं0-35943 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
17	महेश कुमार सिन्हा पिता-स्व. बांके बिहारी लाल ग्राम-शिवगंज आनंद नगर आरा, पो0-आरा, थाना-मुफसिल आरा जिला-भोजपुर सी.आरनं0-53231 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
18	लक्ष्मी देवी पति-स्व.ब्रह्मदेव राउत ग्राम-पो0-पंचवीर थाना-साहेबपुर कमाल जिला-बेगुसराय सी.आरनं0-157259 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
19	अंजुम आरा पति-तजम्मूल अंसारी ग्राम-मसुरीया पो0-थाना+जिला-बांका सी.आरनं0-30966 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
20	अविनाश कुमार पिता-संतोष कुमार साह ग्राम-चकजोहरा पो0-महम्मदीपुर थाना-मोहीउद्दीन नगर जिला-समस्तीपुर सी.आरनं0-42927 / 16 मि. शंभु राम	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।

21	नाजमा खातुन पति-स्व. मो० वशीर ग्राम-खान मिर्जा पो०-महेन्दु, थाना-सुल्तानगंज जिला-पटना सी.आरनं०-154193 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
22	सुरेश दास पिता-धनेश्वर दास ग्राम-अखियापुर चन्दौली पो०-चन्दौली, थाना-वैनी ओ०पी० जिला-समस्तीपुर सी.आरनं०-66387 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
23	सुर्यमती देवी पति-सुरेन्द्र राय ग्राम-सगुना मैनपुरा पो०+थाना-दानापुर जिला-पटना सी.आरनं०-400578	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
24	जोगी ठाकुर पिता-स्व. रामदेव ठाकुर ग्राम-पो०-बभनगामा थाना-त्रीवेणीगंज, जिला-सुपौल सी.आरनं०-19721 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
25	शत्रुघ्न राय पिता-स्व. रामअवतार राय ग्राम-महमदपुर देवपार पो०-थाना-पुसा जिला-समस्तीपुर सी.आरनं०-47661 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 /--(पचास हजार) स्वीकृत।
26	मो. फुलहसन पिता-स्व. दुखानदाफ ग्राम+पो०-ठाडी भवानीपुर थाना पीपरा जिला-सुपौल सी.आरनं०-42866 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
27	अखिलेश उपाध्याय पिता-नगीना उपाध्याय ग्राम-बंगरा पो०-डब्बु, थाना-बसंतपुर जिला-सीवान पंजी / ओ.पीडी-036110 / 16	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000 /--(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
28	रौशन कुमार पिता-सतोष पासवान ग्राम-रामपुर कोसपाली पो०-कालसर, थाना-हसनगंज जिला-कटिहार सी.आरनं०-44978 / 16	ब्रेन ट्युमर रोग	₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 23,35,000 /--

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 23,35,000/- (तेइस लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० ~~502274~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 503 2011 9556 खाता धारक का नाम—“निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं० शेखपुरा पटना 800014 ” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम – पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
6. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नही किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नही किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~502274~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 643 (14)

पटना, दिनांक 04.05.16

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.5.16